## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण

## देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :--

- अन्त्योदय अन्य योजना 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0-02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0-03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

## खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800—1800—150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







## खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक : 215720343742

: LUCKNOW मुखिया का नाम ः कमलापति पिता / पति का नाम : मेडीलाल

श्रेणी/जाति

निवास का पता : Madharmau khurd, Bakkas

Lucknow - 226002

आधार /इनरोलमेंट न० : XXXX XXXX 9267

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०: गैस एजेंसी का नाम : उचित दर दुकान

यूनिटों का विवरण : 1 (One)

दिनांक: 10-06-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

| परिवार की सदस्यों की सूची |         |                             |                   |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| क्रम सं.                  | नाम     | पिता/पति का नाम (हिंदी में) | मुखिया से सम्बन्ध |
| 1                         | कमलापति | मेडीलाल                     | स्वयं             |